रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072025-264518
CG-DL-E-10072025-264518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947
No. 418] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 461(अ).— केन्द्रीय सरकार, जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के परामर्श के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (जिसे आगे उक्त मंत्रालय कहा जाएगा), भारत सरकार (जिसे आगे उक्त सरकार कहा जाएगा) को सुशासन के लिए आधार *प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार,* ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे उक्त नियमों में संदर्भित किया जाएगा) के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 13(2)/2020-ईजी-II (खंड-II), दिनांक 6 मार्च, 2025 के माध्यम से अनुमति दी थी कि उक्त सरकार/मंत्रालय को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत इसे अधिसूचित करती है।

और जबकि, आधार प्रमाणीकरण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3एच के तहत जमा मुआवजे के भुगतान के प्रयोजन के लिए किया जाएगा (जिसे इसके बाद उक्त प्रयोजन के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित किया गया है और उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण का प्रदर्शन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों या उसके किसी भाग के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के संबंध में मुआवजे के भुगतान के प्रयोजन के लिए ही आधार प्रमाणीकरण करेगा, और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3एच के तहत जमा किया जाएगा। (जिसे इसके बाद उपयोग किए गए मामले के रूप में संदर्भित किया जाएगा)]

अब, इसलिए, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. (1) मंत्रालय, अधिनियम में प्रावधान के अनुसार, प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, मंत्रालय/विभाग/एजेंसी आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या ऐसा करने में असमर्थ होने पर आधार संख्या धारक को कोई सेवा देने से इनकार नहीं करेगा, अर्थात:-

(क) स्थायी खाता संख्या (पैन);

(ख) ड्राइविंग लाइसेंस;

(ग) पासपोर्ट;

(घ) मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी);

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी और मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 2370(अ) दिनांक 28 मई, 2025 का स्थान लेगी।

[फा. सं. NH-11011/90/2024-LA(Pt.)]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2025

G.S.R. 461(E).—Whereas the use of Aadhaar to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its OM No. 13(2)/2020-EG-II (Vol-II) dated 6th March, 2025 to the Ministry of Road Transport and Highways (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India (hereinafter referred in as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to an the said rules) that the said Government/Ministry may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for the purpose of payment of compensation deposited under Section 3H of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry shall perform the Aadhaar authentication only

for the purpose of payment of compensation in regards to the acquisition of land required for the building, maintenance, management or operation of National Highways or part thereof, and deposited under section 3H of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956). (hereinafter referred to as the use case(s)]

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely:-

1. (1) The Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry/Department/Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

(a) Permanent Account Number (PAN) ;

(b) Driving License ;

(c) Passport ;

(d) Electors Photo Identity Card (EPIC) ;

2 This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette and shall supersede the Ministry's Gazette Notification S.O. 2370(E) dated 28th May, 2025.

[F. No. NH-11011/90/2024-LA(Pt.)]
SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.07.10 22:37:47 +05'30'